

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा (छ.ग.)

☎ का. : 07759-221273 , नि. : 07759- 222504,, फ़ैक्स 07759-223531, Email : dfo_korba@yahoo.co.in

क्रमांक/तक.अ/ 698
प्रति,

कोरबा, दिनांक 08/04/2021

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

विषय :- Nantional Highway Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh. Pakage-I (0+00 to 38+150) area 4.493 ha., - Reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/ROAD/37444/2018

- संदर्भ :-
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) रायपुर का पत्र क./267 दिनांक 01.02.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क./तक./960 दिनांक 03.02.2021
 3. वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा वनमण्डल का पत्र क. /तक.अ./2610 दिनांक 19.03.2021
 4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा का पत्र क. /735 दिनांक 09.03.2021

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र कं. 2 के द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा से Nantional Highwat Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh. Pakage-I (0+00 to 38+150) area 4.493 ha., हेतु प्राप्त प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार प्रेषित की गई है । उक्त प्रस्ताव में संदर्भित पत्र 1 के द्वारा आनलाईन एवं आफलाईन कर्मिया पाई गयी हैं , जिसके परिपालन में उक्त कमियों की पूर्ति किया गया है जो निम्नानुसार है :-

SL	प्रश्न	उत्तर
आनलाईन कमियों -		
जांजगीर-चांपा वनमण्डल		
1	From A Part-II के कालम नं. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में जांजगीर-चांपा वनमण्डल द्वारा निरंक जानकारी अपलोड की गई है ।	नोडल अधिकारी, कोरबा वनमण्डल के द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की जानकारी आनलाईन अपलोड कर दी गई है ।
2	From A Part-II के कालम नं. 16 (site inspection reports of the DFO/CCF/Nodal Officier highlighting imposrtant facts pertaining to the forest land) में अपलोड भाग-2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम नहीं है, सुधार कर अपलोड करें ।	From A Part-II के कालम नं. 16 में वनमण्डलाधिकारी का नाम अंकित कर दिया गया है ।
कोरबा वनमण्डल		
1	Form A Part-I के कालम नं. A-1 (ii) Name of Project for which Forest Land is required : Consultancy Services for PreapARATION of DPR for Nantional Highwat Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh . Pakage-I (0+00 to 38+150) गलत लेख किया गया है । आवेदक संस्थान को ई.डी.एस कर सुधार करावे । सही नाम - (National Highwat Authority of India (NHAI),	Form A Part-I के कालम नं. A-1 में परियोजना का नाम सही कर लिया गया है - Nantional Highwat Authority of India (NHAI), propose the Up gradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh . Pakage-I (0+00 to 38+150)

	Up-garadation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh to two/four lane with paved shoulder configuration (package No NH/lahe/09))	
2	Form A Part-II के कालम नं. 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land) में अपलोड प्रपत्र-3 अपलोड नहीं किया गया है। सुधार कर अपलोड करें।	वनमण्डलाधिकारी/नोडल अधिकारी कोरबा वनमण्डल के द्वारा Form A Part-II के कालम नं. 15 में Site inspection report अपलोड कर दिया गया है। प्रपत्र 3 – वरिष्ठ कार्यालय से संबंधित है।
3	Form A Part-II के कालम नं. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में कोरबा वनमंडल द्वारा कॉलम में Khasra No. 5 & 67 area -2-82 हे. का उल्लेख करते हुए के.एम. एल फाईल अपलोड किया गया है। परन्तु के.एम.एल में पी.एफ. 211 दिख रहा है। उक्त कॉलम में सुधार कर पुनः Upload kml के attribute में विवरण (जैसे RF / PF along with Compartment no. and area in ha. Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड करें। (प्रस्ताव में वं आनलाईन क्षतिपूर्ति परियोजना प्रतिवेदन – 10 हे. मरवाही वनमण्डल का प्लान संलग्न किया गया है। उक्त बिन्दु में आनलाईन सुधार आवश्यक है।)	Form A Part-II के कालम नं. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में कोरबा वनमंडल के द्वारा पूर्व में अपलोड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण को सुधार कर मरवाही वनमण्डल के पेण्ड्रा परिक्षेत्र का कक्ष क्रमांक पी2355 रकबा 10 हे. में 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति तैयार आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	Form A Part-II के कालम नं. 13 (III) (Details of compensatory afforestation scheme) में जियो रिफरेंस मैप (Resolution 1:50000) के इन्डेक्स में आर.एफ./पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
5	Form A Part-II के कालम नं. 13 (IV) (Details of compensatory afforestation scheme) में टोपोशीट (Resolution 1:50000) के इन्डेक्स में आर.एफ./पी.एफ./राजस्व वन क्षेत्र/राजस्व गैर वन क्षेत्र/निजी क्षेत्र कितना प्रभावित हो रहा दर्शाते हुए मय वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित अपलोड करें।	आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
6	Form A Part-II के कालम नं. 13 (अ) में वनमंडलाधिकारी द्वारा सत्यापित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करें।	वनमंडलाधिकारी के द्वारा सत्यापित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
7	Form A Part-II के कालम नं. 16 में अपलोड भाग – 3 में दिनांक नहीं है।	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त बिलासपुर कार्यालय से अपलोड किया जाना है।
8	कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया गया है। अपलोड किया जाना आवश्यक है।	आवेदक संस्थान के द्वारा वचन पत्र संलग्न है।
9	Form A Part-II के बिन्दु क्रमांक K में कलेक्टर द्वारा दिये गये वन अधिकार प्रमाण पत्र आवेदक संस्थान से अपलोड करावें।	आवेदक संस्थान के द्वारा वचन पत्र संलग्न है।
10	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्राप्त सत्यापित वेजिटेशन मैप अपलोड करें।	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्राप्त सत्यापित वेजिटेशन मैप आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
11	Form A Part-II के अतिरिक्त जानकारी में वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित प्रस्तावित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का डी.जी.	वनमण्डलाधिकारी के द्वारा सत्यापित प्रस्तावित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का डी.

जी.एस रिपोर्ट की सी.डी. अपलोड करें।

जी.पी.एस रिपोर्ट की सी.डी. आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

ऑफलाईन कमियाँ -

जांजगीर-चांपा वनमण्डल

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | चेक लिस्ट क. (12) वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र अ एवं ब) में जानकारी दी जावे। यदि आवेदित भूमि में किसी प्रकार के वृक्षों का विदोहन नहीं होना है तो निर्धारित प्रारूप में निरंक निरूपित किया जावे। | चेक लिस्ट क. (12) वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र अ एवं ब) संलग्न है। |
|---|---|---|

कोरबा वनमण्डल

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | प्रस्ताव का नाम गलत लेख किया गया है। प्रस्ताव का परीक्षण कर जहां त्रुटिपूर्ण है वहाँ पर प्रस्ताव नाम National Highway Authority of India (NHAI), Upgradation of Champa-Korba-Chhuri-Katghora Section of NH-149B in the state of Chhattisgarh to two/four lane with paved shoulder configuration (package No NH/lahe/09) अंकित किया जावे। | आवेदक संस्थान के द्वारा परियोजना का नाम सही कर लिया गया है। संलग्न है। |
| 2 | चेक लिस्ट क्रमांक (1) :- आवेदक विभाग का मांग पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करें। | आवेदक संस्थान के द्वारा मांग पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न किया गया है। प्रारूप संलग्न है। |
| 3 | चेक लिस्ट क्रमांक (12) :- वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र- अ एवं ब) में जानकारी दी जावे। यदि आवेदित भूमि में किसी प्रकार के वृक्षों का विदोहन नहीं होना है तो निर्धारित प्रारूप में निरंक निरूपित किया जावे। | वनमण्डलाधिकारी जांजगीर-चांपा के द्वारा वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र- अ एवं ब) निर्धारित प्रारूप में जानकारी तैयार की गई है। संलग्न है। |
| 4 | चेक लिस्ट क्रमांक (14) :- संलग्न प्रतिवेदन मान्य योग्य नहीं है। सही जानकारी का उल्लेख करते हुए जानकारी संलग्न करें। | भारत सरकार का राजपत्र संलग्न किया गया है। |
| 5 | चेक लिस्ट क्रमांक (16) :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन प्रस्तावित है। उक्त राजस्व वन भूमि का संबंधित जिला कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। संलग्न किया जावे अथवा प्रामि चरण स्वीकृति उपरांत प्रस्तुत करने हेतु वचन पत्र प्रस्तुत किया जावे। | आवेदक संस्थान के द्वारा वचन पत्र संलग्न है। |

अतः आवेदक संस्थान के द्वारा उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन प्रेषित की गई है जिसे आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित है।

सहपत्र - 1. प्रत्यावर्तन प्रस्ताव 03 प्रति में (भाग 1 एवं 2)
2. संदर्भित पत्र 3 एवं 4 की छायाप्रति।

पृ. क्रमांक/तक.अ/ 699

प्रतिलिपि -

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।
- वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर-चांपा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कोरबा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा

कोरबा, दिनांक

08/04/2021

वनमण्डलाधिकारी

कोरबा वनमण्डल कोरबा